

अनुसूचित जाति

वर्तमान में जिसे अनुसूचित जाति कहा जाता है, उसे अतीत में कई अन्य नामों जैसे अशुद्ध, हरिजन, दलित, असूय्य, अद्भुत आदि नाम से जाना है। जाति पद्धति में यह सबसे निम्न स्थान पर पाये जाते हैं। जिन पर कई प्रकार की सामाजिक नियंत्रणें आरोपित की जाती थी। जैसे -

मन्दिर प्रवेश निषेध।

सार्वजनिक तालाबों, कुओं, सड़कों इत्यादि का उपयोग निषेध।

अस्पृश्यता का पालन इत्यादि।

डा० डी० एन० मजूमदार के अनुसार, "अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक नियंत्रणों से पीड़ित हैं, जिनमें से बहुत सी नियंत्रणें उच्च जातियों द्वारा परम्परागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गयी हैं।"

1929 में सड़मन कमीशन ने

दलितों तथा हरिजनों के लिये 'अनुसूचित जाति' शब्द प्रस्तावित किया। जिससे भारतीय संविधान ने भी मान्यता दी। अनुसूचित जनजाति की तरह ही अनुसूचित जाति की भी कोई निश्चित सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। किसी भी जाति को अनुसूचित जाति ~~क~~ घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारत में अनुसूचित जाति कुल जनसंख्या की 16% है। देश की अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का लगभग 49% केवल 10 राज्यों में निवास करता है। पंजाब (31.9%), हिमाचल प्रदेश (25.2%), पश्चिम बंगाल (23.5%), उत्तर प्रदेश (20.7%), हरियाणा (20.2%), तमिलनाडु (20%), उत्तराखण्ड (18.8%), राजस्थान (17.8%), त्रिपुरा (17.8%) तथा ओडिशा (17.1%),

राना परवीन
 03/04/2020

सद्यपान के दुष्प्रभाव :

1.) शारीरिक प्रभाव : लम्बे समय तक अधिक मात्रा में मद्य सेवन से अनेक प्रकार की बीमारियाँ बनती हैं। उसकी जीवन उम्र (Life Expectancy) कम हो जाती है। गले का कैंसर, हृदय रोग, श्वेत छट्ट व अनेक शारीरिक अक्षमता का शिकार व्यक्ति बनता है।

2.) जन्मजात व जननिक प्रभाव शरीर पीने से गर्भपात तथा बच्चों की सुट्टु दर भी अधिक पायी जाती है। बच्चे मानसिक रूप से रुग्ण तथा मिरगी की बीमारी से ग्रहित हो जाते हैं। शराब पीने से व्यक्ति की मानसिक दक्षता भी कम हो जाती है।

3.) शराब एवं दुर्व्यवहार : शराब का सम्बन्ध अपराध, वैश्यावृत्ति, जुआखोरी, चोरी, आदि गैर कानूनी व्यवहारों से भी जोड़ा जाता है। शराब के कारण सामाजिक संगठन के लिये एवं व्यवहार प्रतिमानों को लागू करने में कठिनाई होती है।

4.) शराब और दुर्घटना : औद्योगिक एवं यातायात सम्बन्धी दुर्घटनाओं के लिये शराब

उत्तरदायी माना जाता है। बीमा अधिकारियों एवं पुलिस की रिपोर्ट भी इस पक्ष में है।

5.) शराब व वैयक्तिक विघटन : शराब पीने वाले व्यक्ति अपनी सम्पत्ति शराब में नष्ट कर देते हैं। मित्रों व अपरिचितों से झगड़ा कर बैठते हैं। परिवार का ध्यान नहीं रख पाते। परस्त्रीगमन करते हैं। व्यक्ति की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है।

6.) शराब व गरीबी एवं बेकारी : शराबी अपनी आय का अधिकांश भाग शराब पीने पर खर्च कर देता है। उसकी आय में कच्चा एवं पत्नी का गृहलसा खींचता या नगण्य हो जाता है। जिससे गरीबी, अज्ञान, बीमारी व बेकारी जनपती है। शराबवृत्ति से बेकारी दो रूपों में बढ़ती है—
① शराबवृत्ति बेकारी को बढ़ावा देती है और ② बेकारी की स्थिति शराब पीने की आदत को बढ़ाती है।

7.) शराब व पारिवारिक विघटन शराब पारिवारिक विघटन का भी एक महत्वपूर्ण कारक है। एक शराबी व्यक्ति कभी-कभी ही एक अच्छा पारिवारिक व्यक्ति होता है। शराबी व्यक्ति शराब पीने में ही अपना धन, समय व शक्ति खर्च करता है कि पारिवारिक व सामाजिक कर्तव्य नहीं निभा पाता है।

②

1) शराब एक सामाजिक दुर्गन्ध: शराब पीने पर व्यक्ति खुद को

मित्रों, परिचित व समाज से दूर पाता है। अधिक पीने वाले के सामाजिक सम्बन्ध टूट जाते हैं। स्वैच्छिक मनोरंजन के स्थानों पर शराब के साथ मत्स्य, जुआ व वेश्यावृत्ति चलती है। यह सभी सामाजिक स्थिति नष्ट करते हैं। जिससे समुदाय व समाज के नैतिक सीमाने टूट जाते हैं।

शराब की बुराइयों के कारण ही महात्मा गांधी ने कहा था कि "मैं भारत को गरीब होना पसन्द करूँगा, लेकिन यह यकीन नहीं कर सकता कि हजारों लोग शराबी हों। अगर भारत में नशाबन्दी लागू करने के लिये शिक्षा की बन्द करनी पड़े तो कोई परवाह नहीं।" वर्तमान में तकरीबन 30 प्रतिशत से अधिक बाल-बाल धूम्रपान के साथ-साथ शराब भी पीने लगे हैं।

सना परवीन

03/04/2020

(3)